<u>आवश्यक सूचना</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–29(क) के अन्तर्गत संगमों और निकायों का राजनीतिक दल के रूप में आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–29(C) एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम–85(B) के अन्तर्गत अंशदान प्रतिवेदन प्ररूप–24(A) में दल के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 द्वारा निर्गत पारदर्शिता एवं लेखांकन संबंधी दिशा–निर्देश की कंडिका–3 की उपकंडिका–(i) में उल्लिखित है कि "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क का परन्तुक (क), अन्य बातों के साथ–साथ, यह उपबंधित करता है कि राजनीतिक दल लेखों की ऐसी पुस्तकें रखेंगे और अनुरक्षित करेंगे जिसमें से उनकी आय से उचित कटौती की जा सके। तद्नुसार, यह अपेक्षित है कि :–

(क) राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जो दल के द्वारा प्राधिकृत है, सभी राज्य और निचले स्तरों के लेखों के अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, दल के केन्द्रीय मुख्यालय में समेकित लेखों का, उपरोक्त प्रावधान के अधीन, अपेक्षित रीति से अनुरक्षण करेंगा

(ख) उसके द्वारा अनुरक्षित लेखों को द इन्सीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा–परीक्षण पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार होना होगा और

(ग) वार्षिक लेखा, योग्यता प्राप्त पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा लेखा–परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।"

इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 द्वारा निर्गत पारदर्शिता एवं लेखांकन संबंधी दिशा–निर्देश की कंडिका–3 की उपकंडिका–(vi) में उल्लिखित है कि **"मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सभी रिपोर्ट अर्थात फार्म 24क में अंशदान की रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, और निर्वाचन व्यय विवरण निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करेंगे जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल यह सब संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अर्थात जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के पास निर्धारित समय एवं रीति से दाखिल करेंगे।"** आयोग द्वारा निदेशित किया गया है कि ऐसे सभी दल प्रतिवेदन संबंधित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे।

राजनीतिक दलों रिपोर्टो/विवरणों को जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार निर्धारित है :–

(1) अंशदान रिपोर्ट–आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी कोई तारीख।

(2) वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे–आयकर अधिनियम की धारा 139 के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा आय–कर भरने की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर।

(3) निर्वाचन व्यय का विवरण–विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर और लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर।

संबंधित अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त लेखे एवं प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट ceobihar.nic.in पर भी संधारित है।

उक्त प्रावधानों के परीक्षण से स्पष्ट है कि आपके दल द्वारा संबंधित लेखा/प्रतिवेदन इस कार्यालय को निर्धारित अवधि के अंदर समर्पित नहीं किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

(1) वित्तीय वर्ष 2022–23–अंशदान रिपोर्ट

उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत जो भी पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे अपना प्रतिवेदन 30 (तीस) दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में समर्पित करेंगे।

ज्ञापांक :- 352

दिनांक :- 25 जनवरी 2024

सेवा में,

Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari),
Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder
Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur,
Kadamkuan, Patna Bihar – 800003.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के आदेश से,

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।